16/6/17

पत्रावली आज केन्द्र ... के ... -2017 केन्द्र ... में प्रस्तुत हुई। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर पत्रावली ... किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली ... होकर ... हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
... मजिस्ट्रेट, ...

आदेश प्रति
आवेदक

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, केम्प कोर्ट – भोली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 292/2017

1. जमनी बाई बेवा गोपीलाल बलाई, निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थिया

बनाम

1. पूरणमल पिता गंगाराम बेसवाल, निवासी ई–9, शास्त्रीनगर भीलवाडा।
2. मैसर्स परिश्रय एलिगेन्सी प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर महेश लाखोटिया, निवासी भीलवाडा।
3. नगर विकास न्यास जरिये, सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।

—–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 16.06.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 02.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माधोपुर, पटवार हल्का मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 202 रकबा 04–05 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 04–05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थिया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम माधोपुर, पटवार हल्का मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 202 रकबा 04–05 बीघा, कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थिया इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/– अक्षरे पॉच सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर